रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2003/फाल्गुन 7, 1924
No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2003/PHALGUNA 7, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2003

का.आ. 239(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, एन ऐसिटीलिन एन्थ्रानिलिक ऐसिड के उत्पादन में उसकी ऐसिटिक एन हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके, एन्थ्रानिलिक ऐसिड के अयुक्त उपयोग तथा उसके मेथाक्वालोन (मेनड्रेक्स) के विनिर्माण में पश्चात्वर्ती उपयोग के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, एन्थ्रानिलिक ऐसिड को नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित करने का विनिश्चय किया है;

2. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viiघ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजन के लिए एन्थ्रानिलिक ऐसिड को, नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. I/63/2002-एन.सी. II]

श्यामला मोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2003

S.O. 239(E).—Whereas the Central Government, having regard to the available information as to the illicit use of Anthranilic Acid in the production of N-Acetyl Anthranilic Acid by treating it with the Acetic Anthydride and subsequent use in the manufacture of Methaqualone (Mandrax), decided to declare Anthranilic Acid as a controlled substance;

2. Now, therefore, the Central Government in exercise of powers conferred by clause (viid) of section 2 of the narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), hereby declares Anthranilic Acid as a controlled substance for the purpose of the said clause.

[F. No. I/63/2002-NC. II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

581 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.